

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक २५० 19 ६९ - ६८

यह प्रमाणित किया जाता है कि मानव मारती समिति जयपुर
जिला नरतपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक बारह माह फरवरी सन् एक हजार नौसौ अड़सठ को
जयपुर में दिया गया।



रा.क.स.नं. 1845-2,000-67

[Handwritten Signature]

रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर।



Self attested
Bharvika Kumari
17/3/23



Self Attested
[Handwritten Signature]
17/3/2023